न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया (आर0 ए0 एस0)

निगरानी संख्या :- 40/2017

सुभाषचन्द पुत्र श्री बुधराम जाति महाजन निवासी नंगली सलेदी ग्राम पंचायत गोठड़ा पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

–निगरानीकार

–बनाम

1. लखनलाल पुत्र बसेसर जाति महाजन निवासी नंगली सेलदी ग्राम पंचायत गोठड़ा पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. सरपंच ग्राम पंचायत गोठड़ा पंचायत समिति खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)।

–गैर निगरानीकार

निगरानी अ0धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994
विरूद्ध जारी करने पट्टा संख्या 023 दिनांक 08.02.2013
द्वारा ग्राम पंचायत गोठड़ा पंचायत समिति खेतड़ी

उपस्थिति :-
1. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट – निगरानीकार की ओर से।

–निर्णय – दिनांक 08.12.2017.

निगरानीकार ने जरिये अधिवक्ता निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 08.02.2013 गैरनिगरानीकार 1 को दिया गया है। उस जगह पर गैरनिगरानीकार को कोई कब्जा नही है बिना कब्जा व बिना रहवास के दिया गया है जबकि नियम 157 में स्पष्ट प्रावधान है। जंहा कोई व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है को ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है। गैरनिगरानीकार न0 02 के द्वारा उक्त कानूनी बिन्दू पर गौर न कर पट्टा जारी करने में भूल कानूनी है। गैर निगरानीकार न0 02 के द्वारा जो तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, उक्त भूमि पर कब्जा निगरानीकार का है। जो गैर निगरानीकार नं0 01 भतीजा है। उसका कब्जा है, व मकान बना हुआ है। उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर न कर गैरनिगरानीकार न0 02 ने गैर निगरानीकार नं0 01 को पट्टा जारी करने में भूल कानूनी है। गैरनिगरानीकार न0 02 ने उक्त पट्टा अपने अधिकार सीमा से बहार जाकर करवाया ज़ाकर जारी किया है ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा जारी करने को कोई अधिकार नही था

अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

इसलिए उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकार नं0 02 ने बिना जांचकर व विधिक प्रकिया अपनाये उक्त पट्टा जारी करने में भूल कानूनी की है। निगरानीकार अपने आवासीय भवन का पट्टा बनाने के लिए दिनांक 16.05.2017 को गैरनिगरानीकार नं0 02 के यहां पर आवेदन करने पर गैरनिगरानीकार न0 02 ने रिकार्ड में इस भूमि का पट्टा पूर्व में गैरनिगरानीकार नं0 01 के नाम जारी करना बताया गया। जानकारी के रोज से निगरानी अन्दर मियाद पेश है। अन्त में निगरानी पेशकर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोठड़ा गैरनिगरानीकार नं0 02 द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 023 दिनांक 08.02.2013 को निरस्त निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकार को तारीख पेशी नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 08.02.2013 गैरनिगरानीकार 1 को दिया गया है। उस जगह पर गैरनिगरानीकार को कोई कब्जा नही है बिना कब्जा व बिना रहवास के दिया गया है जबकि नियम 157 में स्पष्ट प्रावधान है। जंहा कोई व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है को ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है। गैर निगरानीकार न0 02 के द्वारा जो तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, उक्त भूमि पर कब्जा निगरानीकार का है। जो गैर निगरानीकार नं0 01 भतीजा है। उसका कब्जा है, व मकान बना हुआ है। अतः ग्राम पंचायत गोठड़ा गैरनिगरानीकार नं0 02 द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 023 दिनांक 08.02.2013 को निरस्त निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

मैने निगरानी पत्रावली एंव ग्राम पंचायत का पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। निगरानीकार का कथन है कि ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा जिस जगह का पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 लाखन लाल को दिया गया है, उस जगह पर निगरानीकार का कब्जा है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का यह कथन कि पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है

अति. जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

जिसके प्रावधानों के अनुसार जहां कोई व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने ग्रह का कब्जा रखते हैं, को ही पट्टा दिये जाने का प्रावधान है।

हस्तग्रत प्रकरण में ग्राम पंचायत गोठड़ द्वारा ग्राम पंचायत बैठकों में विधिक प्रकिया के अन्तर्गत प्रस्ताव पारित कर तीन पंचों का मौक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है, उसके बाद 1 माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया है, किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गैर निगरानीकार नंबर 1 लखनलाल को आबादी भूमि में पट्टा दिया गया है ।

निगरानीकार का कथन कि जिस भूमि का गैर निगरानीकर नंबर 1 को ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा प्रश्नगत पट्टा दिया गया है उस पर निगरानीकार का कब्जा है और जब वह अपने आवासीय भवन का पट्टा बनाने ग्राम पंचायत गोठड़ा में गया तब रिकार्ड देखने पर यह जानकारी हुई कि इस भूमि का पहले से ही गैर निगरानीकार नंबर 1 के नाम से पट्टा जारी है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा अपने कथनों के समर्थन में एवं वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकार का कब्जा एवं आवास होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर निगरानीकार का कब्जा/आवास साबित हो। यहां प्रश्न यह है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर निगरानीकार काबिज है या गैर निगरानीकार नंबर एक, ग्राम पंचायत गोठड़ द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट में प्रश्नगत भूमि पर गैर निगरानीकार का कब्जा मानकर रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की है जिस पर एक माह तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर विधिक प्रकिया अपनायी जाकर ग्राम पंचायत सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर के गैर निगरानीकार को प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उस पट्टे को मात्र निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास करके निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार की यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती।

-आदेश-

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानीकार की यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है। ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 को जारी पट्टा संख्या 023 दिनांक 08.02.2013 को यथावत रखा जाता है। मिसल ग्राम पंचायत अदालत आदेश

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बगड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 09.12.2013. को मेरे द्वारा अलग से लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बगड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं